गुप्त

सं.: 12/17/2006-IPR VII
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय,
औद्योगिक नीति व संवर्द्धन विभाग

भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा द फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनामिक एफेयर्स ऑफ स्वीटजरलैण्ड के बीच बौद्धिक सम्पदा पर समझौते का ज्ञापन

बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की संरक्षा एवं संवर्द्धन के प्रोत्साहन में नजदीकी सहयोग के फायदे पर विचार करते हुए पक्षकारों पर सहमति हुई जो निम्नलिखित है:-

अनुच्छेद 1

पक्षकार बौद्धिक सम्पदा के मुद्दे पर संवाद को विकसित करने हेतु एक संयुक्त समिति की स्थापना करते हैं जिससे परिवृत्त होंगे:

1. राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक सम्पदा की रक्षा से सम्बद्ध विचारों, सूचनाओं एवं अनुभवों का विनिमय;
2. बौद्धिक सम्पदा से सम्बद्ध अन्तर-राष्ट्रीय मुद्दे पर संवाद;
3. पक्षकारों के द्विपाक्षिक संबंधों में बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में विशिष्ट मुद्दों को सम्बोधित करने के लिए सम्पर्क हेतु एक फोरम की संरचना;
4. दोनों देशों में बौद्धिक सम्पदा संस्थानों के बीच नियमित तकनीकी विनिमय हेतु लगातार संस्थागत सहयोग का विकास;
5. बौद्धिक सम्पदा पर प्रशिक्षण में भारत और स्वीटजरलैण्ड के मध्य अनुभवों का विनिमय;
6. ऐसे प्रशिक्षण हेतु समुचित मोडुल्स एवं अन्य क्रिया कलापों का विकास;
7. विशिष्ट बौद्धिक सम्पदा मुद्दे पर संयुक्त अध्ययन;
8. बौद्धिक सम्पदा अधिकार की भूमिका पर लोक जानकारी को बढ़ाने के सम्बन्ध में अनुभव एवं सर्वोत्तम प्रचलनों का विनिमय;
9. कपटपूर्ण एवं तस्करीकृत उत्पादों के निर्माण वितरण, विक्रय तथा उपभोग को रोकने (के उद्देश्य से कौशल पूर्ण रणनीति पर चर्चा) साथ ही कपटपूर्ण एवं तस्करीकृत उत्पादों के द्वारा हुई क्षति को लोक जानकारी बढ़ाने;
10. भौगोलिक उपदर्शन की संरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर अनुभव एवं संवादों का विनिमय;
11. परम्परागत ज्ञान की संरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर अनुभव एवं संवादों का विनिमय।

गुप्त

सं.: 12/17/2006-IPR VII
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय,
औद्योगिक नीति व संवर्द्धन विभाग

अनुच्छेद 2

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति व संवर्द्धन विभाग, महानियंत्रक, पेटेंट, डिजाईन एवं व्यापार चिह्न का कार्यालय एवं बौद्धिक सम्पदा के स्विस फेडरल संस्थान इस ज्ञापन के कार्यान्वयन हेतु प्रभारी हैं।

अन्य शासकीय एजेंसियां संयुक्त समिति की बैठक में भाग ले सकेंगी एवं मुद्दों से सम्बद्ध विषय पर आधारित संवाद में अपना ज्ञान बढ़ाएंगे।

उद्योग एवं व्यवसाय संघ के प्रतिनिधि आमंत्रित किये जाने पर बैठक में प्रतिभागिता दे सकेंगे तथा संयुक्त समिति की चर्चा एवं कार्य में अपने ज्ञान व व्यावहारिक अनुभव का अंशदान दे सकेंगे।

अनुच्छेद 3

संयुक्त समिति वर्ष में एक बार भारत या स्विटजरलैण्ड में वैकल्पिक रूप से बैठक कर सकेगी।

अनुच्छेद 4

संयुक्त समिति द्वारा सम्बोधित किए जाने वाले विषय पक्षकारों के द्वारा वार्षिक आधार पर निर्णीत होंगे। संयुक्त समिति संवाद एवं किए गए कार्यों का प्रतिवेदन नियमित रूप में सम्बद्ध मंत्रालय को भेजेगा।

अनुच्छेद 5

वर्तमान ज्ञापन हस्ताक्षर की तारीख से प्रवृत्त होगा। इसे, किसी एक या अन्य अथवा दोनों ही पक्षकारों के द्वारा किसी भी क्षण 6 महीने की अग्रिम पूर्व सूचना पर, निरस्त किया जा सकेगा।

साक्ष्य के रूप में दोनों सरकारों के सम्बद्ध प्रतिनिधियों ने इस समझौते के ज्ञापन को हस्ताक्षरित किया है।

अंग्रेजी भाषा में दो मूल पाठ 7 अगस्त, 2007 को नई दिल्ली में सम्पादित।

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग
मंत्रालय की ओर से

कमल नाथ
मंत्री

स्वीस कनफेडेरेशन के आर्थिक कार्य
विभाग की ओर से

डोरिस ल्यूथार्ड
फेडरेल काउंसिलर